सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 323 राँची, सोमवार, 15 अप्रैल, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

संकल्प

11 अप्रैल, 2019

संख्या-5/आरोप-1-105/2017-1726 (HRMS)-- श्री रंथु महतो, झा०प्र०से०, (द्वितीय बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विष्णुगढ़, हजारीबाग के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1930, दिनांक 04.07.2017 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप में गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध मनरेगा योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में न्यूनतम प्रतिदिन 100 मानव दिवस प्रति ग्राम पंचायत के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 34 मानव दिवस के सृजन होने, विष्णुगढ़ प्रखंड में मात्र 61% मजदूरों का DBT के माध्यम से भुगतान होने, डोभा निर्माण के कुल लक्ष्य 988 के विरूद्ध मात्र 360 पर ही क्रियान्वयन प्रारम्भ करने, मात्र 23 % जॉब कार्ड का सत्यापन करवाने, दिनांक 24.11.2016 से लम्बित सभी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर MIS में close करने संबंधी निदेश का अनुपालन न करने एवं मनरेगा अंतर्गत 19 % Delay Payment तथा विष्णुगढ़ प्रखंड में कुल सृजित परिसम्पत्तियों के विरूद्ध मात्र 5% परिसम्पत्तियों का ही जियो टैगिंग करवाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-10010, दिनांक 20.09.2017 द्वारा श्री महतो से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री महतो से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक-21, दिनांक 01.01.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु उन्हें स्मारित किया गया। इसके अनुपालन में

श्री महतो का स्पष्टीकरण उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-476 दिनांक 26.02.2018 के माध्यम से विभाग को प्राप्त हुआ, जिसमें उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा श्री महतो के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने की अनुशंसा की गई।

श्री महतो द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा गठित मंतव्य पर विभागीय पत्रांक-4984, दिनांक 05.07.2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गई। इसके आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-97, दिनांक 09.01.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि- "प्रपत्र-'क' गठन के बाद भी लक्ष्य के अनुरूप प्रगति संतोषजनक नहीं है तथा इनका स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य प्रतीत नहीं होता है ।"

श्री महतो के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण, इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा गठित मंतव्य एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी।

समीक्षोपरांत, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री रंथु महतो, झा०प्र०से०, (द्वितीय बैच), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, विशनुगढ़, हजारीबाग के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत 'निन्दन' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	RANTHU MAHTO JHK/JAS/127	श्री रंथु महतो, झा०प्र०से०, (द्वितीय बैच), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, विशनुगढ़, हजारीबाग के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत 'निन्दन' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 323 -- 50